

BUSINESS STANDARD DATED 25.08.2018

Head Office : Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075
(Email hosd@pnb.co.in)

NOTICE OF E-VOTING AND BOOK CLOSURE

1. Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held at 10 AM on Tuesday, the 18th September 2018 at Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075 to transact the business as set forth in the notice dated 17.08.2018.
2. The electronic copies of Notice of AGM and Annual Report for 2018 have been sent to all members whose email IDs are registered with the STA/Depository Participant(s). Notice of AGM and Annual Report for 2018 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.
3. The notice is also displayed in our website www.pnbindia.in and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com.
4. The Bank has completed dispatch of aforesaid notice in Physical Form to the shareholders whose email id is not registered with the Bank/depositories and email to the shareholders whose email id registered with the Bank/depositors by 24.08.2018.
5. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date 11.09.2018 may cast their vote electronically, in terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, through electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from place other than the venue of AGM (remote e-voting). All members are hereby informed that:
 - a. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means. Remote e-voting is optional.
 - b. The remote e-voting shall commence on 15.09.2018 at 9.00 AM.
 - c. The remote e-voting shall end on 17.09.2018 at 05.00 PM and shall be disabled by CDSL, for voting thereafter.
6. Any person who acquires the shares of the Bank and becomes the shareholder of the Bank, after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 11.09.2018 should follow the same procedure for e-voting as mentioned in the Notice.
7. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date 11.09.2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
8. Members may note that once the vote on a resolution is cast by the member that shall not be allowed to change it subsequently. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
9. The members who have not cast their vote through remote e-voting, facility for voting through Tablet based electronic voting system shall be made available at the venue of the Meeting by CDSL. After verification of DP ID/Client ID or Folio No. along with signature, the e-vote key will be issued at the time of registration to shareholders at the venue of the general meeting.
10. A member can opt for only one mode of voting i.e. remote e-voting or Tablet based electronic voting. If a member casts vote by both modes, then vote cast through e-voting shall prevail and Tablet based electronic voting shall be treated as invalid.
11. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the Annual General Meeting as well as in the email sent to the members by CDSL. In case the shareholder has any queries or issues regarding e-voting, he/she may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the Download section of www.evotingindia.com or call on Toll free no.1800225533 for contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com.
12. It is strongly recommended not to share the individual password with any other person and to take utmost care to keep it confidential.
13. The result of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges within the prescribed time limit after the AGM.
14. The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 12.09.2018 to 18.09.2018 (both days inclusive).

For Punjab National Bank

Place : New Delhi
Dated : 24.08.2018

(Balbir Singh)
Company Secretary

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
(ईमेल: hosd@pnb.co.in)

ई-वोटिंग और लेखाबंदी की सूचना

- बैंक की 17वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 17.08.2018 की सूचना में दिए गए कारोबार को निष्पादित करने हेतु मंगलवार, 18 सितम्बर 2018, प्रातः 10.00 बजे पंजाब नेशनल बैंक, हेड ऑफिस, प्लॉट नं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में आयोजित की जाएगी।
- वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2018 की इलेक्ट्रॉनिक प्रति सभी सदस्यों जिनके ई-मेल आईडी एस्टीए/डिपॉजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत हैं, को भेज दिए गए हैं। अन्य सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2018 की प्रति उनके पंजीकृत पते पर अनुमत विधि द्वारा भेज दी गयी है।
- सूचना हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in और सेंट्रल डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गई है।
- बैंक द्वारा सभी शेयरधारकों को जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, को भौतिक रूप में और जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत हैं को ई-मेल द्वारा उक्त सूचना दिनांक 24.08.2018 तक भेज दी गई है।
- सदस्य जो कट ऑफ तिथि दिनांक 11.09.2018 तक मूर्त या अमूर्त रूप में शेयरधारित करते हैं, वे सेबी (सूची-द्वारा बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन के विनियम 44 की शर्तानुसार एजीएम (रिमोट ई-वोटिंग) स्थल के अलावा अन्य स्थान से सेंट्रल डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:
 - एजीएम की सूचना में दिए गए कारोबार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।
 - रिमोट ई-वोटिंग 15.09.2018 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी।
 - रिमोट ई-वोटिंग 17.09.2018 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा।
- कोई सदस्य जिसने एजीएम सूचना डिस्पैच होने के बाद बैंक के शेयर अर्जित किए हो और बैंक का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् दिनांक 11.09.2018 को शेयर धारित करता है, तो वह ई-वोटिंग के लिए नोटिस में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए वोट दे सकता है।
- केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग करने के साथ-साथ आम बैठक में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनका नाम कट ऑफ तिथि 11.09.2018 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है।
- सदस्य नोट करें कि संकल्प पर एक बार अपना वोट देने के बाद उसे बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।
- वह सदस्य जिसने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक स्थल पर अपना वोट कर सकता है। हस्ताक्षर के साथ डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या फोलियों के सत्यापन के पश्चात, ई-वोट की (key) आम बैठक स्थल पर शेयरधारकों के पंजीकरण के समय जारी की जाएगी।
- सदस्य वोटिंग की केवल एक विधि अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या टैबलेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकता है। यदि कोई सदस्य दोनों विधियों के माध्यम से अपना वोट देता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और टैबलेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम नोटिस में देने के साथ ही सीडीएसएल द्वारा सदस्यों को ई-मेल भी कर दिया गया है। ई-वोटिंग के संबंध में यदि शेयरधारक को पूछना या मामला उठाना चाहता है तो वह शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का संदर्भ ले सकता है और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन पर भी उपलब्ध है या टोल फ्री नं० 1800225533 पर श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि. की ई-मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com से संपर्क कर सकता है।
- दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना व्यक्तिगत पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यन्त सावधानी से रखें।
- ई-वोटिंग का परिणाम बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और एजीएम के पश्चात निर्धारित समयावधि के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर भी सूचित किया जाएगा।
- बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण वही दिनांक 12.09.2018 से 18.09.2018 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.08.2018

(बलबीर सिंह)
कम्पनी सचिव